(भारत के राजपत्र असाधारण भाग– I, खंड– I में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय
वाणिज्य भवन, नई दिल्ली

सार्वजनिक सूचना सं 14/2024–2025
दिनांकः 16 जुलाई, 2024

विषयः प्रक्रिया पुस्तक, 2023 के पैरा 4.49 (ख) में संशोधन।

समय–समय पर यथासंशोधित विदेश व्यापार नीति 2023 के पैरा 1.03 और 2.04 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार एतद्द्वारा प्रक्रिया पुस्तक 2023 के पैरा 4.49 (ख) के प्रावधानों में निम्नानुसार संशोधन करते हैं:

मौजूदा पैरा 4.49 (ख)	संशोधित पैरा 4.49 (ख)
यदि निर्यात दायित्व मात्रा के अनुसार पूरा कर लिया है लेकिन मूल्य के अनुसार इस में कमी आ गई है तो प्राधिकार पत्र धारक पर न्यूनतम निर्धारित मूल्य संवर्धन प्राप्त करने पर जुर्माना नहीं लगाया जायेगा। तथापि, मूल्य संवर्धन यदि निर्धारित न्यूनतम मूल्य संवर्धन से नीचे आ जाता है तो प्राधिकार पत्र धारक को डीजीएफटी की वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाईन पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य में कमी के 3 प्रतिशत राशि के बराबर भारतीय रुपये में जमा करना अपेक्षित होगा।	यदि निर्यात दायित्व मात्रा के अनुसार पूरा कर लिया है लेकिन मूल्य के अनुसार इस में कमी आ गई है तो प्राधिकार पत्र धारक पर न्यूनतम निर्धारित मूल्य संवर्धन प्राप्त करने पर जुर्माना नहीं लगाया जायेगा। तथापि, मूल्य संवर्धन यदि निर्धारित न्यूनतम मूल्य संवर्धन से नीचे आ जाता है तो प्राधिकार पत्र धारक को डीजीएफटी की वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाईन पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य में कमी के 1 प्रतिशत राशि के बराबर भारतीय रुपये में जमा करना अपेक्षित होगा।

सार्वजनिक सूचना का प्रभावः व्यापार को सुगम बनाने और अनुपालनों में कटौती करने हेतु संरचना शुल्क को कम करके प्रक्रिया पुस्तक, 2023 के पैरा 4.49 (ख) को संशोधित किया गया है।

संतोष कुमार सारंगी
16.7.2024

(संतोष कुमार सारंगी)
महानिदेशक विदेश व्यापार
और पदेन अपर सचिव, भारत सरकार
ईमेलः dgft@nic.in

(फा.सं. 01/94/180/082/एएम24/पीसी–4 से जारी)